सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी)
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय)

प्लॉट न. 15 ए, सैक्टर - 7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075.
दूरभाष : (011) 25309300, वेबसाईट: www.ccrtindia.gov.in

सांस्कृतिक स्रोत व प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय) में एक (01) उप निदेशक (उत्पादन) व एक (01) पाठ संपादक (हिंदी) के रिक्त पद की भर्ती हेतु

सीसीआरटी में समग्र विधि द्वारा: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) व पदोन्नति, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा उप निदेशक (उत्पादन) समूह 'ए', पीबी -3 रु 15600-39100/-, ग्रेड पे रु. 6600/- (संशोधित वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11) के एक (01) रिक्त पद हेतु एवं प्रतिनियुक्ति द्वारा पाठ संपादक (हिंदी) के पद पर समूह 'बी', पीबी - 2, रु 9300-34800/-, ग्रेड पे 4600/- (संशोधित वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7) एक (01) रिक्त पद की भर्ती हेतु केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन सेवारत पात्र अधिकारियों या सरकार के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत लोगों से अपने नई दिल्ली मुख्यालय हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **<u>सीसीआरटी के बारे में</u>**

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक है। सीसीआरटी का मुख्य लक्ष्या देशभर के सेवारत शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों एवं छात्रों के लिए विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण में सांस्कृतिक तत्वों के सन्निवेश के लिए प्रविधि-प्रतिपादन पर विशेष बल देना है और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति में निहित दर्शन, सौंदर्यशीलता की समझ व बोध भी विकसित किया जाना है । सीसीआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है । इसके चार क्षेत्रीय केंद्र - पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद, मध्य में दमोह (मध्य प्रदेश) तथा पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में स्थित हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत हैं।

3. <u>उप निदेशक (उत्पादन):</u>

3.1 <u>आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव:</u>

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डायरेक्शन / सिनेमैटोग्राफी / एडिटिंग / साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा

(ii) संबंधित क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव या कला/संस्कृति पर ऑडियो/विजुअल के दस्तावेज़ीकरण और तैयारी का 05 वर्ष का अनुभव

अथवा

(iii) हिंदी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता/जनसंचार में डिप्लोमा के साथ संपादन/प्रकाशन फर्मों में 05 वर्ष का अनुभव।

नोट 1: सक्षम प्राधिकारी (खोज-सह-चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति) के विवेक पर, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों, अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता(ओं) में छूट दी जा सकती है।

नोट 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी (खोज-सह-चयन समिति /विभागीय पदोन्नति समिति) के विवेक पर, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों, अनुभव के संबंध में योग्यता(ओं) में छूट दी जा सकती है।

<u>3.2 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित- ISTC):</u>

केंद्र या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या स्टैचुरी संगठनों के तहत कार्यरत अधिकारी: -

A.

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण; **अथवा**

ii) वेतन बैंड- 3 में रु 15600-39100 + जीपी रु 5400/- के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड पे पर पांच साल की सेवा का अनुभव; **अथवा**

(iii) वेतन बैंड- 2 में रु 9300-34800 + जीपी रु 4800/- के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड पे पर छः साल की सेवा का अनुभव; **अथवा**

(iv) वेतन बैंड- 2 में रु 9300-34800 + जीपी रु 4600/- के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड पे पर सात साल की सेवा का अनुभव

तथा

B. उपरोक्त पैरा 3.1 के तहत उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।

3.3 <u>प्रमोशन हेतु</u>

बाहरी लोगों के अलावा विभागीय सहायक प्रलेखन अधिकारी/ पाठ संपादक/ वीडियो संपादक पीबी-2 में पदों पर रु 9300-34800 प्लस ग्रेड पे 4600 के रूप में सात साल की नियमित सेवा वालों पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसे पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

3.4 <u>सीधी भर्ती हेतु</u>

उपरोक्त पैरा 3.1 के तहत उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले आवेदक।

नोट 3.5: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक है। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)। आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

नोट 3.6: प्रतिनियुक्ति (ISTC) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 3.7: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 3.8: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 3.9: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य हेतु, 01-01-2006 (जिस तारीख से छठे सीपीसी और 7 वें सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है) से पहले एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड वेतन/वेतनमान में प्रदान की गई सेवा को छोड़कर जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमानों का एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया हो माना जाएगा, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

नोट 3.10: उपनिदेशक (उत्पादन) के पद पर चयनित उम्मीदवार का अखिल भारतीय सेवा दायित्व होगा।

4. <u>पाठ संपादक (हिंदी):</u>

4.1 <u>आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव:</u>

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से हिंदी में स्नातकोत्तर।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/संपादन में डिप्लोमा।
(iii) पत्रिकाओं और पुस्तकों के संपादन में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से हिंदी में स्नातक।
(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा।
(iii) सरकारी विभागों या प्रतिष्ठित प्रकाशन फर्मों में पत्रिकाओं और पुस्तकों के संपादन में चार साल का अनुभव।

वांछनीयः मुद्रण और प्रकाशन परियोजनाओं के संचालन का अनुभव।

नोट 1: सक्षम प्राधिकारी (खोज-सह-चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति) के विवेक पर, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों, अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता(ओं) में छूट दी जा सकती है।

नोट 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी (खोज-सह-चयन समिति /विभागीय पदोन्नति समिति) के विवेक पर, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों, अनुभव के संबंध में योग्यता(ओं) में छूट दी जा सकती है।

<u>4.2 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित- ISTC):</u>

केंद्र या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या स्टैचुरी संगठनों के तहत कार्यरत अधिकारी: -

A.

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण; **अथवा**

(ii) वेतन बैंड- 2 में रु 9300-34800 + जीपी रु 4200/- के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड पे पर पांच साल की सेवा का अनुभव;

तथा

B. उपरोक्त पैरा 4.1 के तहत उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।

नोट 4.3: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट। आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

नोट 4.4: प्रतिनियुक्ति (ISTC) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 4.5: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 4.6: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य हेतु 01-01-2006 (जिस तारीख से छठे सीपीसी और 7 वें सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है) से पहले एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड वेतन/वेतनमान में प्रदान की गई सेवा को छोड़कर जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमानों का एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया हो माना जाएगा, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

नोट 4.7: पाठ संपादक (हिंदी) के पद पर चयनित उम्मीदवार का अखिल भारतीय सेवा दायित्व होगा।

5. <u>आवेदन कैसे करें</u>

उप निदेशक (उत्पादन) के 26.12.2020 के विज्ञापन के संबंध में आवेदन करने वालों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पहले के आवेदन पर विचार किया जाएगा। हालाँकि, अगर अभ्यर्थी अपने पहले आवेदन को अपडेट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं।

निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक ‘क’) में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, जिसके साथ पिछले पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां (संपूर्ण एवं नवीनतम रिपोर्ट सहित) जिसके साथ (i) सतर्कता अनापत्ति, (ii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, (iii) काडर अनापत्ति एवं (iv) बड़ा/छोटा दंडों के पिछले दस वर्षों का विवरण सहित एवं अन्य सभी संबंधित तथा समर्थित दस्तावेज़ों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न कर, उचित माध्यम से, इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, निदेशक, सीसीआरटी को उपरोक्त पते पर भेज दें । अपूर्ण अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार / व्यक्तिगत

बातचीत के लिए चुने गए उम्मीदवारों को नियत समय में सूचित किया जाएगा और इस संबंध में फोन / ईमेल पर कोई पत्राचार / पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी। **कृपया प्रत्येक पद के लिये अलग आवेदन जमा करें ।**

निदेशक,
सीसीआरटी, नई दिल्ली